

श्री आनन्द बर्द्धन, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष-संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में दि० 30.09.2025 को द्वितीय तल, मुख्य सचिव सभागार में आयोजित उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) की संचालन समिति की 11th बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की उपस्थिति :- संलग्न सूची अनुसार (संलग्नक-1)।

सर्वप्रथम प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा/सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा संचालन समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों व अन्य सम्मानित सदस्यों के प्रतिनिधियों का बैठक में स्वागत किया गया। तत्पश्चात्, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से पावर प्वाइन्ट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से संचालन समिति की 11th बैठक की कार्यवाही आरंभ की गई।

उपस्थित सदस्यगणों को प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम, 2018 की धारा 11(2) के अनुसार उत्तराखण्ड कैम्पा संचालन समिति की संरचना से अवगत कराते हुए बैठक का मुख्य ऐजन्डा प्रस्तुत किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों की सूची का अवलोकन करते हुए निर्देश दिये गये कि संचालन समिति की आगामी बैठकों में निम्न विभागों के प्रतिनिधियों को भी स्थायी आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जाये: -

1. जलागम निदेशालय, उत्तराखण्ड
2. पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड तथा
3. सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

तत्पश्चात् निर्धारित कार्यसूची के आधार पर बैठक निम्नानुसार प्रारम्भ की गई :-

कार्यसूची संचालन समिति 11.1: संचालन समिति की दिनांक 31.12.2024 को आयोजित दशम् बैठक में लिए गये निर्णयों की पुष्टि एवं अनुपालन:

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा दिनांक 31.12.2024 को आयोजित संचालन समिति की दशम् बैठक के कार्यवृत्त की बिन्दुवार अनुपालन आख्या समिति के सदस्यगणों के समक्ष प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा उक्त का अवलोकन कर पुष्टि की गई।

कार्यसूची संचालन समिति 11.2: उत्तराखण्ड कैम्पा की गत वर्ष 2024-25 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष प्रगति।

11.2.1 वित्तीय प्रगति:

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया कि राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति द्वारा अनुमोदित रू० 408.00 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष दिनांक 31.03.2025 तक विभिन्न चरणों में रू० 335.37 करोड़ तथा वर्ष 2023-24 की अवशेष देयता के भुगतान हेतु रू० 33.88 करोड़ की राशि सहित कुल रू० 369.25 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्तानुसार स्वीकृति के सापेक्ष प्रभागों द्वारा रू० 302.87 करोड़ का व्यय किया गया जो कि कुल आवंटित धनराशि का 92.47% व शासन से प्राप्त कुल बजट का 88.91% है।

उपरोक्त स्वीकृति के सापेक्ष उत्तराखण्ड शासन द्वारा वर्तमान तक उत्तराखण्ड कैम्पा को अवमुक्त धनराशि, क्रियान्वयन इकाईयों को आवंटित धनराशि एवं व्यय की प्रगति का विवरण समिति के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया :-

धनराशि (करोड़ रू० में)

विवरण	अनिवार्य गतिविधियां				एन० पी० वी०	अर्जित ब्याज	योग
	सी०ए०	अन्य	कैट प्लान	वन्यजीव प्रबंधन			
संचालन समिति द्वारा अनुमोदित ए०पी०ओ०	50.12	21.89	29.57	10.00	255.68	40.74	408.00
राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा स्वीकृत ए०पी०ओ०	50.12	21.89	29.57	10.00	207.58	16.21	335.37
वर्ष 2023-24 के स्वीकृत ए०पी०ओ० के सापेक्ष अवशेष धनराशि की स्वीकृति	3.40	1.17	13.88	0.05	15.18	0.20	33.88
वर्ष 2024-25 की कुल स्वीकृति	53.52	23.06	43.45	10.05	222.76	16.41	369.25
शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि	53.52	18.00	43.45	10.00	200.00	15.68	340.65
कैम्पा द्वारा प्रभागों को आवंटित धनराशि	53.03	10.41	43.45	10.00	200.00	10.65	327.54
आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रगति	48.34	9.06	37.01	9.88	188.75	9.83	302.87
आवंटन के सापेक्ष व्यय (प्रतिशत % में)	91.16	87.03	85.18	98.80	94.38	93.30	92.47

11.2.2 भौतिक प्रगति:

क्षतिपूरक वनीकरण: समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2024-25 में क्षतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत कुल 1518.23 हे० वृक्षारोपण पूर्ण किया गया। इसके अतिरिक्त 795.99 हे० अग्रिम मृदा कार्य तथा 15813.25 हे० रोपण क्षेत्रों में, जिनमें पूर्व के वर्षों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य पूर्ण किया गया था, का रखरखाव वर्ष 2024-25 में किया गया। वर्तमान में सितम्बर, 2025 की स्थिति के अनुसार प्रदेश में क्षतिपूरक वनीकरण के कुल 2401.04 हे० के लक्ष्य शेष हैं।

उक्त लक्ष्यों की ससमय प्राप्ति हेतु वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्ययोजना में 1500 हे० अग्रिम मृदा कार्य का लक्ष्य स्वीकृत कराया गया है। उत्तराखण्ड कैम्पा उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास रत है। यदि प्रभागों द्वारा उक्त लक्ष्यों के अनुरूप लक्ष्य प्राप्त किये जाते

हैं तो वन भूमि हस्तांतरण की वर्तमान तक की स्वीकृतियों के सापेक्ष क्षतिपूरक वनीकरण का लक्ष्य 901.04 हे० मात्र शेष रहेगा। किन्तु अनेक प्रकरण अत्यंत पुराने हैं व कतिपय प्रकरणों में वनीकरण हेतु निर्धारित भूमि विभिन्न कारणों से रोपण हेतु उपलब्ध नहीं है अतः एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, देहरादून के सहयोग से ऐसे प्रकरणों में रोपण योग्य अन्य भूमि के चयन हेतु प्रयास किया जायेगा।

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, देहरादून की प्रतिनिधि द्वारा उक्त पर सहमति व्यक्त की गई।

कैट प्लान: समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2024-25 में कैट प्लान के अंतर्गत कुल 1404 हे० वृक्षारोपण पूर्ण किया गया। इसके अतिरिक्त प्लान के अनुसार कैचमेंट संरक्षण संबंधी विभिन्न गतिविधियों यथा चेकडैम, चालाखाल, कंटूर ट्रेन्च, रिचार्ज पिट आदि की 8958 संरचनाओं का निर्माण किया गया। प्रदेश में संचालित कुल 13 योजनाओं के कैट प्लान में से 6 योजनाएं गत वर्ष समाप्त हो गई हैं। वर्तमान में 07 कैट प्लान का क्रियान्वयन गतिमान है।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा कैम्पा योजनान्तर्गत विभिन्न कैट प्लान कार्यों की प्रगति के संबंध में की गई पृच्छा के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, परियोजनायें एवं सामुदायिक वानिकी, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि सौंग पेयजल परियोजना के कैट प्लान एवं लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना के Restoration Plan की डी०पी०आर० तैयार किये जाने की कार्यवाही गतिमान है, जिसके पश्चात् कार्यों का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जायेगा। मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सौंग पेयजल परियोजना के कैट प्लान की डी०पी०आर० 15 दिनों में तैयार की जाय। लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना के Restoration Plan को भागीरथी ईको-सेंसिटिव जोन मॉनिटरिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रत्याशा में डी०पी०आर० तैयार करने की कार्यवाही भी साथ-साथ संपन्न की जाय।

नवाचारी योजनाएं: उत्तराखण्ड कैम्पा के अंतर्गत निम्न नवाचारी योजनाओं का विवरण भी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया:

(क) **मृदा एवं जल संरक्षण : जलधाराओं का उपचार (Streamshed Treatment)**

- i. 03 वर्षीय Detailed Technical Report (DTR) के आधार पर क्रियान्वयन।
- ii. 245 जल धाराओं का उपचार (SAARA योजना की 13 जलधाराओं सहित)।
- iii. कुल कैचमेंट/उपचार क्षेत्रफल – 100402 हे०
- iv. आरंभ किये जाने का वर्ष : 2023-24
- v. वर्ष 2023-24 व 2024-25 में क्रमशः 15.24 तथा 18.52 करोड़ लीटर वर्षा जल संग्रहण की अनुमानित क्षमता विकसित।

- vi. 2025-26 हेतु वर्षा जल संग्रहण क्षमता विकसित होने का अनुमान: 20.00 करोड़ लीटर
- vii. कुल अनुमानित लागत: रू0 123.16 करोड़।

गत 03 वर्षों में मृदा एवं जल संरक्षण गतिविधियों के अंतर्गत प्रगति से भी सदस्यगणों को निम्नानुसार अवगत कराया गया:-

कार्य का नाम	2022.23	2023.24	2024.25
जल कुण्ड निर्माण (संख्या)	559	83	169
जल स्रोतों का पुनरोद्धार (संख्या)	226	06	43
कंटूर ट्रेंच (है०)	1960	1256	633
चाल-खाल (संख्या)	3200	1692	2816
चेकडैम (संख्या)	1900	5282	5805
परकोलेशन पिट्स (संख्या)	306	116	1166
कुल विकसित वर्षा जल संग्रहण क्षमता (करोड़ लीटर)	14.30	15.24	18.52

(ख) वन्यजीव फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन (FLR)

- i. 10 वर्षीय प्लान अनुसार (प्रोजेक्ट मोड में) क्रियान्वयन।
- ii. 34 वन प्रभागों में 50000 हे० से अधिक क्षेत्र में लैंडस्केप चयनित।
- iii. मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम हेतु समेकित प्रयास जिसमें ए०एन०आर०, पर्यावास सुधार, चारागाह विकास, सोलर लाईटिंग व फेन्सिंग, पिंजरे/ उपकरण, सुरक्षा गियर तथा त्वरित कार्यबल व स्थानीय समुदाय का सहयोग, प्रशिक्षण आदि गतिविधियां सम्मिलित।
- iv. आरंभ किये जाने का वर्ष: 2023-24
- v. 10 वर्षों की अनुमानित लागत: रू0 649.00 करोड़।

FLR योजना के अंतर्गत उपस्थित सदस्यों को वर्ष 2024-25 तक किये गये मुख्य कार्यों तथा वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित लक्ष्यों के संबंध में अवगत कराया गया जिसमें सोलर व बायोफेन्सिंग, ए०एन०आर०, प्राकृतावास सुधार, विभिन्न संरक्षण कार्य यथा वानस्पतिक चेकडैम, जल संरक्षण, चारागाह विकास, बीज बुआन आदि का विवरण दिया गया।

उक्त के अतिरिक्त पिंजरे, वन्यजीव सुरक्षा में लगे कर्मियों हेतु सेफ्टी गीयर व वन्यजीवों हेतु क्रय किये गये उपकरणों का विवरण भी सदस्यों के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया।

क्रम संख्या	विवरण	संख्या
1	Camera Traps:	653
2	Solar Lights:	1120

3	Automatic Motion Sensor light	23
4	Head Lamp & Search lights	166
5	Leopard Cages:	117
6	Tiger Cages	11
7	Monkey Cages	16
8	Aniders	122
9	Drones	17
10	Tranquilizing Guns	23
11	Wildlife Rescue Kits	24
12	Wildlife medical equipment	340
13	Snake-Catching Kits	117
14	Binoculars	22
15	GPS Devices	128
16	Smart Sticks	29
17	Metal Detectors	23
18	Protective Gears etc.	773

(ग) रेस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट (RDF)

- i. 08 वर्षीय प्लान का (प्रोजेक्ट मोड में) क्रियान्वयन।
- ii. 17 वन प्रभागों में 23,562 हे० क्षेत्र का सुधारात्मक गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु चयन।
- iii. अवनत वनों के सुधार हेतु समेकित प्रयास जिसमें वृक्षारोपण/ए०एन०आर०, सूक्ष्म जल संरक्षण कार्य, बीज/प्रिक्स बुआन, लैंटाना आदि इन्वेसिव प्रजातियों का उन्मूलन आदि सम्मिलित।
- iv. आरंभ किये जाने का वर्ष 2024-25
- v. अनुमानित लागत: ₹० 112.00 करोड़

RDF योजना के तहत प्रभागवार विवरण निम्नानुसार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया:—

S. No.	Division	Total size of Landscape (ha)	Total cost for 08 years (in Crore)
1	PITHORAGARH DIVISION	190.00	964.02
2	CHAMPAWAT DIVISION	2250.00	561.50
3	TARAI EAST DIVISION	1540.00	1221.24
4	TARAI WEST DIVISION	350.00	494.00
5	RAMNAGAR DIVISION	4464.00	955.27
6	UTTARKASHI DIVISION	1268.00	1039.39
7	NARENDRA NAGAR DIVISION	4776.00	560.90
8	TEHRI DIVISION	1300.00	700.22
9	GARHWAL DIVISION	1390.00	998.10

10	BADRINATH DIVISION	318.00	228.42
11	RUDRAPRAYAG DIVISION	203.00	113.56
12	LANSLOWNE DIVISION	1986.00	624.17
13	DEHRADUN DIVISION	1150.00	451.26
14	UPPER YAMUNA DIVISION	508.46	316.00
15	MUSSOORIE DIVISION	12.00	163.61
16	CHAKRATA DIVISION	422.00	298.00
17	NANDADEVII NATIONAL PARK	1435.00	1592.64
	Grand Total	23562.46	11282.32

इसके उपरांत वनाग्नि सुरक्षा, रेंज स्तर के भवन निर्माण, वन मार्गों का रखरखाव, बुग्यालों का संरक्षण, प्राकृतिक पर्यावास सुधार के अंतर्गत लैंटाना व अन्य इन्वैसिव प्रजातियों का उन्मूलन, हरेला, नमामि गंगे, मिश्रित प्रजातियों का रोपण, ए0एन0आर0 आदि योजनाओं की गत तीन वर्षों की प्रगति का विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

उक्त के अतिरिक्त समिति को कैम्पा के अंतर्गत प्रदेश में क्रियान्वित विभिन्न कार्यों के माध्यम से स्थानीय लोगों हेतु सृजित रोजगार (मानव दिवसों में) से भी अवगत कराया गया जिसमें निम्नानुसार वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 में हुए रोजगार सृजन व वर्ष 2025-26 में संभावित मानव दिवसों के रोजगार का विवरण प्रस्तुत किया गया: -

क्रियान्वयन वर्ष एवं सृजित रोजगार (लाख मानव दिवस)			
2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (अनुमानित)
41.76	43.66	54.20	66.94

कार्यसूची संचालन समिति 11.3: वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार की स्वीकृति के संबंध में समिति को अवगत कराया जाना:

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्ययोजना का प्रस्ताव संचालन समिति की गत दिनांक 31.12.2024 को आयोजित समिति की 10वीं बैठक में अनुमोदन के उपरांत दिनांक 01.01.2025 को भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया गया था। समिति उक्त से अवगत हुई।

वर्ष 2025-26 के अंतर्गत संचालन समिति द्वारा अनुमोदित रू0 439.50 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में रू0 235.30 करोड़ तथा द्वितीय चरण में रू0 191.20 करोड़ राहित कुल रू0 426.50 करोड़ का APO स्वीकृत किया गया है। भारत सरकार की स्वीकृति के सापेक्ष वर्तमान तक शासन द्वारा दिनांक 30.06.2025 को रू0 131.65 करोड़ तथा दिनांक 19.09.2025 को रू0 137.85 करोड़ सहित कुल रू0 269.50 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष प्रथम चरण में प्रभागों को रू0 119.10 करोड़ तथा द्वितीय चरण में रू0 82.45 करोड़ की धनराशि सहित

कुल रू0 201.55 करोड की धनराशि आवंटित कर दी गई है, तथा शेष रू0 67.95 करोड का आवंटन संबंधित प्रभागों को किया जा रहा है। विवरण निम्नानुसार है:-

विवरण	अनिवार्य गतिविधियां				एन0 पी0 वी0	अर्जित ब्याज	योग
	सी0ए0	अन्य	कैट प्लान	वन्यजीव प्रबंधन			
संचालन समिति द्वारा अनुमोदित ए0पी0ओ0	72.00	20.00	55.00	10.00	262.50	20.00	439.50
राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण में कुल स्वीकृत ए0पी0ओ0	72.00	20.00	55.00	10.00	249.50	20.00	426.50
शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि (30.06.2025)	60.00	10.00	17.50	5.00	36.90	2.25	131.65
शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि (19.09.2025)	0.00	5.00	17.50	5.00	106.60	3.75	137.85
शासन द्वारा कुल अवमुक्त धनराशि	60.00	15.00	35.00	10.00	143.50	6.00	269.50
स्वीकृति के सापेक्ष आवंटित धनराशि	54.97	7.30	21.24	5.00	107.04	6.00	201.55
प्रथम चरण के आवंटन के सापेक्ष व्यय प्रगति (29.09.2025)	12.76	3.90	2.64	1.08	13.59	2.25	36.22 (30.41%)

वर्ष 2025-26 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत शेष रू0 13.00 करोड की स्वीकृति के संबंध में समिति को अवगत कराया गया कि राज्य स्तर पर एन0पी0वी0 मद में वर्तमान में उपलब्ध निधि के आधार पर, अधिकतम 25% की सीमा तक, राष्ट्रीय कैम्पा से वर्तमान तक प्राप्त स्वीकृति के अंतर्गत संभावित बचत वाले कार्यों में समायोजन कराते हुए शेष रू0 13.00 करोड की धनराशि की स्वीकृति प्राप्त किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। समिति उक्त से अवगत हुई।

कार्यसूची संचालन समिति 11.4: भारतीय वन प्रबंध संस्थान (IIFM), भोपाल द्वारा वर्ष 2024 में किया गया तृतीय पक्ष अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

समिति के समक्ष भारतीय वन प्रबंध संस्थान (IIFM), भोपाल द्वारा किये गये तृतीय पक्ष अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की ड्राफ्ट रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया। संस्थान द्वारा दिनांक 02 दिसम्बर, 2023 से 01 जुलाई, 2025 के मध्य वर्ष 2017-18 से 2020-21 की अवधि में क्रियान्वित गतिविधियों का मूल्यांकन किया गया था। क्रियान्वयन के उपरांत चतुर्थ वर्ष से सातवें वर्ष के अंतराल में विभिन्न गतिविधियों का मूल्यांकन किया गया जिसमें डाटा के एकत्रीकरण हेतु 43 वन प्रभागों की कुल 247 रेंज में फील्ड भ्रमण किया गया।

IIFM द्वारा प्रेषित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की रिपोर्ट के अनुसार रोपण क्षेत्रों में कुल औसत सफलता प्रतिशत 53% पायी गई जो कि औसत मानक-38.12% से अधिक है। किसी रोपण प्लॉट की अधिकतम सफलता 69.94% तथा न्यूनतम सफलता 35.71% की पाई गई है। समस्त रोपण क्षेत्रों के मूल्यांकन में 16% रोपण क्षेत्रों की सफलता 60-70 %, 71% क्षेत्रों की सफलता 50-60 %, 12% क्षेत्रों की सफलता 40-50% तथा 01 प्रतिशत से कम क्षेत्रों की सफलता 40% से कम सफलता की श्रेणी में पाई गई है।

वर्ष 2017-18 से 2020-21 की अवधि में प्रदेश में कैम्पा के अंतर्गत कराये गये कार्यों के अंतर्गत रोपण क्षेत्रों की सफलता के आंकलन के अतिरिक्त इनकी चारा पत्ती, ईंधन तथा फल उत्पादन सहित बायोमास व कार्बन संचयन की वर्तमान स्थिति तथा आगामी 10 एवं 20 वर्षों में संभावित स्थिति का आंकलन भी किया गया जिसका विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों के माध्यम से संरक्षित की गई मृदा एवं जल संचयन क्षमता का आंकलन भी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

समिति उक्त से अवगत हुई तथा सदस्यों द्वारा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा रिपोर्ट के संबंध में निर्देशित किया गया कि:-

- (i) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया जाये तथा ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाये जहां सफलता अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अत्यंत न्यून है अथवा औसत से ऊपर है, जिससे कि आने वाले वर्षों में बेहतर परिणाम हेतु सीमित क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके।
- (ii) समिति की अगली बैठक में न्यूनतम सफलता वाले 20% क्षेत्र तथा अधिकतम सफलता वाले 20% रोपण क्षेत्रों की सूची प्रस्तुत की जाये तथा उक्त के संबंध में की गई कार्यवाही से समिति को अवगत कराया जाये।
- (iii) समिति द्वारा 2020-21 के बाद के वर्षों में कैम्पा के अंतर्गत कराये गये कार्यों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु IIFM को अनुबंधित किये जाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की गई। इस हेतु अपेक्षित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए कार्यवाही की जाये।
- (iv) समिति द्वारा यह भी अनुसंशा की गई कि चूंकि कैम्पा के अंतर्गत कराये जा रहे कार्य संपूर्ण प्रदेश में व्याप्त हैं तथा तीन से चार वर्षों के कार्यों का मूल्यांकन अभी शेष है, अतः कम समय में परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु एक से अधिक सक्षम संस्थानों जैसे विश्वविद्यालयों के वानिकी विभागों आदि को भी अनुबंधित किया जा सकता है। इस हेतु प्रत्येक जनपद स्तर पर एक एजेन्सी चिन्हित की जाये।
- (v) भारत सरकार द्वारा संचालित E-Green Watch पोर्टल पर अपेक्षानुसार कार्यों की प्रगति को शत-प्रतिशत पूर्ण किया जाये। समिति की अगली बैठक में अद्यतन स्थिति को सदस्यों के समक्ष रखा जाये।
- (vi) प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर वृक्षारोपण सफलता के मानक तैयार कर शीघ्रताशीघ्र परिचालित किये जायेंगे।

(vii) प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया तृतीय पक्ष मूल्यांकन व विभागीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के अतिरिक्त उत्तराखण्ड कैम्पा के कार्यों के सुचारु क्रियान्वयन, समवर्ती अनुश्रवण, अध्ययन व अभिलेखीकरण आदि के दृष्टिगत राज्य कैम्पा के स्तर पर PMC के चयन हेतु चालू टेण्डर प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है जिसका लाभ कैम्पा के बेहतर प्रबंधन के रूप में परिलक्षित होगा।

कार्यसूची संचालन समिति 11.5: उत्तराखण्ड कैम्पा के अंतर्गत ऑडिट एवं लेखा व वार्षिक रिपोर्ट की अद्यतन स्थिति

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा कैम्पा के अंतर्गत ऑडिट एवं लेखा व वार्षिक रिपोर्ट की अद्यतन स्थिति का विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें समिति को निम्नानुसार अवगत कराया गया:—

1. उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2024–25 की बैलेंस शीट, आयकर अधिनियम के अंतर्गत सनदी लेखाकार (CA) से ऑडिट कराकर समिति के समक्ष adoption / अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई जिसे सर्वसम्मति से समिति द्वारा adopt / अनुमोदित किया गया।
2. समिति को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा के वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 के महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखा विधान सभा पटल पर मानसून सत्र 2025 में प्रस्तुत किया गया था। समिति उक्त से अवगत हुई।
3. उत्तराखण्ड कैम्पा के वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 के लेखापरीक्षा प्रमाणीकरण का कार्य महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। वर्ष 2022–23 की Management letter सहित Final Separate Audit Report (SAR) एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 की Draft Separate Audit Report (DSAR) प्राप्त हो चुकी है जिसको समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2023–24 की Final Separate Audit Report (SAR) प्राप्त होनी शेष है। समिति उक्त से अवगत हुई तथा सदस्यों द्वारा लेखा प्रमाणीकरण कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया।
4. उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे संचालन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।
5. उक्त के अतिरिक्त मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995 में दाखिल आई0ए0 संख्या – 285881/2024 285829/2024 तथा 285830/2024 में पारित आदेश, जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा कैम्पा की कार्य प्रणाली के संबंध में CAG उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 2019–20 से 2022–23 तक की अवधि में कराये गये कार्यों की ऑडिट रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड की ओर से दिनांक 18.03.2025 तक शपथ पत्र दाखिल किये जाने का आदेश दिया गया था, के क्रम में विभाग द्वारा दाखिल शपथपत्र व मा0 न्यायालय के अंतिम आदेश, जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 19.03.2025 को की गई

सुनवाई में शपथपत्र का अवलोकन करते हुए की गई निम्न टिप्पणी से समिति को अवगत कराया गया: –

- In view of the averment made in the affidavit, we do not propose to proceed any further.
- We find that the deviations, if any, are trivial in nature, however, the State would ensure hereinafter that no deviations are made.
- The State would also ensure that the interest is deposited regularly at an approximate rate which can be subsequently adjusted as and when the central government notifies the rate of interest.
- In view of the matter, the proceedings, insofar as the mis-utilization of the CAMPA fund is concerned, stand closed/disposed of.

समिति उक्त से अवगत हुई।

- समिति के समक्ष कैम्पा फण्ड एवं इस पर अर्जित ब्याज की अद्यतन स्थिति का निम्नानुसार विवरण भी प्रस्तुत किया गया, जिससे समिति अवगत हुई:–

धनराशि रू० करोड़ में

Year	Fund received from National CAMPA	CAF Fund Balance as on 31st March	Year wise Interest Accrued on CAF Fund	Interest received in CAF Fund
2018-19	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-20	2675.09	2675.09	85.83	0.00
2020-21	0.00	2675.09	90.95	0.00
2021-22	0.00	2882.74	89.61	0.00
2022-23	119.00	3019.57	96.57	150.00
2023-24	312.13	3307.32	101.16	212.96
2024-25	235.35	2875.26	110.79	211.95
Total	3341.57		574.91	574.91

कार्यसूची संचालन समिति 11.6: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य बिन्दु।



अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न अन्य बिन्दुओं पर चर्चा की गई व निर्देश जारी किये गये:–

- श्री भूपाल राम टम्टा, मा० विधायक, थराली, चमोली, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा के अंतर्गत राज्य के पर्वतीय भागों में जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नष्ट किये जाने के समाधान हेतु सुरक्षात्मक फेन्सिंग कार्य संबंधी रू० 6491.97 लाख के प्रस्ताव पर चर्चा हुई।

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रस्ताव में थराली विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत रू0 64.91 करोड़ के कार्यों को कैम्पा से वित्त पोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि RDF तथा FLR के अंतर्गत बायोफेन्सिंग के कार्य कराये जा रहे हैं। समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रस्ताव का औचित्यपूर्ण परीक्षण कर अनुपातिक रूप से कैम्पा से वित्त पोषण का प्रयास किया जाये।

2. अध्यक्ष महोदय द्वारा रेंज स्तर तक के कर्मचारियों के लिये फॉरेस्ट लाईन की हल्द्वानी तथा देहरादून में स्थापना का प्रस्ताव राज्य सेक्टर व कैम्पा के अंतर्गत शीघ्र तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये। इसके वित्त पोषण हेतु धनराशि कैम्पा की आगामी 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाये। यह ध्यान में रखा जाये कि चूंकि कैम्पा के अंतर्गत योजनाओं का आंशिक वित्तपोषण अनुमन्य नहीं है अतः कैम्पा के अंतर्गत रखे जाने वाले प्रस्ताव अन्य योजनाओं से पूर्णतः भिन्न हों।
3. मृदा एवं जल संरक्षण के कार्यों में उपचारित जल स्रोतों/धाराओं के डिस्चार्ज का बेसलाइन डाटा, निश्चित अंतराल पर अनिवार्य रूप से एकत्रित कर संकलित किया जाये जिससे किये जा रहे उपचार कार्यों का भविष्य में परिणाम देखा जा सके व आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके। इसके लिये आवश्यक धनराशि का प्रावधान, कैम्पा के स्थान पर, राज्य सेक्टर व अन्य केन्द्रपोषित योजनाओं में किया जाये। यह विवरण केन्द्रीयकृत रूप से SAARA योजना के अंतर्गत रखा जाये।
4. पेयजल योजनाएँ, जिनमें जल स्रोतों का डिस्चार्ज कम हो गया है अथवा पूर्णतः समाप्त हो गया है, को पुनर्जीवित करने हेतु विभागीय सामन्जस्य बनाया जाये। जिन स्रोतों के कैचमेंट वन क्षेत्रों में पड़ते हों उनके उपचार हेतु कैम्पा के अंतर्गत प्रावधान किये जाने का प्रयास किया जाये। इसका आदेश पूर्व में भी हुआ है, जिसमें पेयजल विभाग द्वारा तैयार की गई जल स्रोतों की सूची के अनुसार उपचार किये जाने के निर्देश दिये गये थे। पेयजल विभाग से जल स्रोतों की अद्यतन सूची प्राप्त कर उक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जाये।
5. कैम्पा के अंतर्गत किये गये कार्यों से सृजित मानव दिवस रोजगार द्वारा स्थानीय समुदाय को हुए लाभ का समुचित documentation किया जाये।
6. प्रदेश में वनों एवं वन्यजीवों के संरक्षण हेतु कराये जा रहे कार्यों के अतिरिक्त संरक्षण के अन्य विकल्प भी तलाशे जाएं।
7. कैम्पा के अंतर्गत किये जा रहे वानिकी कार्यों से Carbon Credits अर्जित किये जाने हेतु भी प्रयास किये जायें।

अन्त में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन तथा अध्यक्ष-संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं अन्य समस्त उपस्थित सदस्यों व विशेष रूप से आमंत्रित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की समाप्ति की गई।


(डॉ० समीर सिन्हा)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य सचिव-संचालन समिति,
 उत्तराखण्ड कैम्पा

अनुमोदित

(आनंद बर्द्धन)
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
एवं अध्यक्ष-संचालन समिति,
उत्तराखण्ड कैम्पा